उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण

मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी), रायपुर रोड, देहरादून

निविदा सूचना सं0 – 01/वा0अधि0नि0/2017–18 देहरादून, दिनांक : 22 सितम्बर 2017

निविदा सूचना

वर्ष 2017–18 में अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के उपयोगार्थ मासिक किराये दर पर एक इनोवा वाहन की आवश्यकता है, जिस हेतु एतद्द्वारा जनपद देहरादून के अनुभवी एवं पंजीकृत ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्मो से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 07.10.2017 को अपरान्ह् 02:30 बजे मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) रायपुर रोड, देहरादून में खोली जायेगी। निविदा की अन्य नियम, शर्ते एवं निविदा फार्म मत्स्य भवन बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी), देहरादून से क्रय कर अथवा विभागीय वेवबसाईट www.fisheriesuk.org से डाउनलोड कर प्राप्त जा सकती है।

टैण्डर डाउनलोड की तिथि	–	26.09.2017 से 07.10.2017
टैण्डर विक्रय (कार्यालय से)	–	02.10.2017 से 07.10.2017
टैण्डर जमा करने की अन्तिम तिथि	–	07.10.2017 (अपराह्न 01:00 बजे तक)
निविदा खुलने की तिथि व समय	–	07.10.2017 (अपराह्न 02:30 बजे)

सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून।

उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण

मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी), रायपुर रोड, देहरादून

संशोधन सूचना

प्रकाशित निविदा सूचना संख्या 01/वा0अधि0नि0/2017–18 दिनांक 22.09.2017 में इंगित ''जनपद देहरादून'' को ''राज्य के'' तथा ''अनुभवी एवं पंजीकृत'' को ''इस प्रकार की सेवा देने वाले अनुभवी'' पढ़ा जाय। अन्य नियम एवं शर्ते यथावत् रहेगी।

उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण
मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी), रायपुर रोड़, देहरादून

——मासिक आधार पर किराये पर इनोवा वाहन हेतु आंमत्रित निविदा की शर्ते——

उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अध्यक्ष/मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), मत्स्य विकास के प्रयोगार्थ इनोवा वाहन को मासिक आधार पर किराये पर वित्तीय वर्ष 2017—18 अथवा आगामी निविदि तिथि तक के लिए जाने हेतु इस प्रकार की सेवा देने वाले अनुभवी ट्रेवल एजेन्सियों/फर्मो से मोहरबन्द निविदायें आंमत्रित की जाती है। निविदादाता नीचे दी गयी शर्तो को भलीभॉति पढ़ व समझ कर अपनी निविदाये प्रस्तुत करे।

1. निविदा प्रपत्र अहस्तानान्तरणीय है।
2. निविदा प्रपत्र दिनांक 02.10.2017 से दिनांक 07.10.2017 तक किसी भी कार्यालय दिवस को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकते है परन्तु निर्धारित दिनांक 07.10.2017 को अपराह्न 01:00 बजे तक ही निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकेगे। **अथवा** निविदा पत्र विभागीय वेबसाइट www.fisheriesuk.org से भी डाउनलोड की जा सकेगी। डाउनलोड निविदा के साथ ₹590/— का डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा क्रय निविदा के साथ निविदा क्रय रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा के दो भाग होगें 1) तकनीकी निविदा 2) वित्तीय निविदा
4. **तकनीकी निविदा** — तकनीकी निविदा के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख ❶ जी0एस0टी0 पंजीयन ❷ पूर्व में किराये के आधार पर वाहन आपूर्ति का अनुभव ❸ ऑल इण्डिया परमिट प्रमाण पत्र प्रमाणक ❹ धरोहर धनराशि ₹5,000/— (राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत) ❺ वाहन का अद्यतन इन्शयुरेन्श एवं ''किराये हेतु'' प्रमाणित रजिस्ट्रेशन का प्रमाणक। ❻ निविदा प्रपत्र में इंगित शर्तो को हस्ताक्षर कर उपलब्ध कराया जायेगा जिसे निविदा में प्रतिभाग किये जाने हेतु सहमति पत्र माना जायेगा। इस प्रकार उक्त 06 अभिलेख तकनीकी निविदा के स्वच्छ एवं पूर्ण रूप से तैयार विवरण के साथ एक लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके बाहर स्पष्ट अक्षरों में ''तकनीकी निविदा'' एवं निविदादाता का नाम अंकित होगा।
5. **धरोहर धनराशि** — धरोहर धनराशि के रूप में ₹5,000/— की एफ0डी0आर0 अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक गांरटी के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा, जो निविदा खुलने के दिनांक से अगले 45 दिवसो तक वैध हो। एफ0डी0आर0 अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक गांरटी मात्र राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो एवं सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून के पक्ष में निर्गत हो, ही स्वीकार्य होगी।
6. **वित्तीय निविदा** — वित्तीय निविदा अन्तर्गत मात्र **''प्रपत्र क''** पर इनोवा वाहन हेतु मासिक किराये की दरें अंकित की जायेगी। इस प्रपत्र को अन्य लिफाफे में रखा जायेगा, जिसके बाहर स्पष्ट अक्षरों में ''वित्तीय निविदा'' लिखा जायेगा।

7. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा को एक बड़े लिफाफे के अन्दर रख प्रस्तुत किया जाना होगा, जिस पर ''मासिक **आधार पर किराये पर इनोवा वाहन हेतु आंमत्रित निविदा''** तथा निविदाता का नाम व पता, लिखा जाना अनिवार्य होगा।

8. मुहरबन्द निविदा दिनांक 07.10.2017 तक (अपरान्ह् 1:00 बजे तक) मत्स्य भवन बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी), रायपुर, देहरादून में उपलब्ध करायी जा सकेगी। निविदा मात्र स्पीड पोस्ट /रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही प्रेषित किये जाये अथवा निविदादाता स्वयं कार्यालय में रखी निविदा पेटी में निविदा डाल सकता है। निर्धारित समय उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। साधारण डाक एवं कोरियर के माध्यम से प्रेषित निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

9. निविदादाता की पृथक से कोई शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। नियम व शर्तो के अनुरूप निविदा प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

10. जिन निविदादाताओं की तकनीकी निविदा सही पायी जायेगी, मात्र उन निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा को खोला जायेगा।

11. जिन निविदादाताओं की तकनीकी निविदा सहीं नहीं पायी जायेगी, उन निविदादाताओं की निविदायें स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा।

12. निविदा दिनांक 07.10.2017 को अपराह्न 02:30 बजे गठित समिति द्वारा ''मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) रायपुर, देहरादून'' कार्यालय में खोली जायेगी। निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि निविदा खोले जाने की निर्धारित तिथि/समय पर समिति के समक्ष उपस्थित रहे सकते है। निविदा की स्वीकृति का अधिकार सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण को होगा

13. निविदा खुलने के बाद कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

14. निविदा खुलने पर सफल निविदादाता को आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत अपने मूल्य से खरीदे हुए धनराशि ₹100/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पूर्ण किया जाना होगा। अनुबंध की अवधि प्रारम्भिक तौर पर 31 मार्च, 2018 अथवा आगामी निविदा तिथि तक मान्य रहेगी, जिस हेतु दोनो पक्षो की सहमति से स्वीकृत दर पर कार्यावधि को बढ़ाया जा सकेगा।

15. अनुबंध के समय निविदादाता को धनराशि ₹20,000=00 की जमानत धनराशि, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा एफ0डी0आर0 अथवा बैंक गांरटी के रूप में सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून के नामें निर्गत हो तथा जो अनुबंध किये जाने की तिथि से न्यून्तम 18 माह की अवधि तक वैध हो, जमा की जानी होगी। जमानत धनराशि को अनुबंध की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् वापस किया जायेगा।

16. वाहन परिचालन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन चालक की समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी। वाहन चालक वाहन परिचालन के समय मदिरा एवं अन्य इस प्रकार के नशीले पदार्थो का सेवन नहीं करेगा।

17. अनुबंध के समय निविदादाता वाहन चालक का पहचान पत्र एवं दूरभाष संख्या अभिकरण कार्यालय को उपलब करायेगा।

18. सफल निविदादाता बिना अभिकरण कार्यालय की संस्तुति के स्वीकृत वाहन को बदल नहीं सकेगा।

19. किसी स्थिति में आकस्मिक रूप से वाहन खराब हो जाने पर सफल निविदादाता को अन्य वाहन की तत्काल व्यवस्था की जानी होगी।

20. सफल निविदादाता वाहन की प्रतिदिन साफ सफाई सुनिश्चित करेगा।

21. वाहन की नियमित रूप से मासिक आधार पर आवश्यकता होगी, जिसकी समयावधि पर कभी भी कोई संशोधन किया जा सकता है। मासिक आधार पर आपूर्ति किये जाने वाला इनोवा वाहन वर्ष 2017 से पूर्व का मेक–मॉडल/निर्मित नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त समय–समय पर वाहन को उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपद एवं उत्तराखण्ड राज्य के बाहर भी ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। चयनित एजेन्सी द्वारा निविदा स्वीकृत आदेश के जारी होने की तिथि से समय–समय पर मांग के अनुसार निर्धारित स्थल पर वाहन की आपूर्ति की जायेगी।

22. इस निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तें अनुबंध की अंग मानी जायेगी।

23. भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी विवाद पर सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

24. अभिकरण किसी भी एक निविदा अथवा समस्त निविदा को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

25. सफल निविदादाता को अनुबंध पत्र/स्वीकृति निर्गत किये जाने के उपरान्त यदि मानक के अनुरूप या किसी भी स्तर के निरीक्षण में सहीं नहीं पाया जाता है, तो अनुबंध निरस्त कर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

26. फर्म द्वारा आपूर्ति आदेश किसी अन्य को सबलेट नहीं किया जायेगा।

27. अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करने की दशा में भी अनुबंध निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

28. किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में गठित समिति का निर्णय अन्तिम व दोनो पक्षों को मान्य होगा।

29. किसी भी प्रकार के वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र देहरादून होगा।

भुगतान की व्यवस्था निम्नवत् रहेगी :–

30. किराये का भुगतान बिल प्रस्तुत करने के 1 (एक) माह के अन्तराल में दिया जायेगा।
31. मासिक आधार पर लिये गये वाहन हेतु – लॉग बुक में प्रविष्ठियॉ सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय द्वारा सत्यापित की जायेगी। तत्पश्चात् बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
32. वाहन का भुगतान अनुमोदित दर तथा डीजल/पेट्रोल की देयता खपत दर के आधार पर किया जायेगा।
33. अनुमोदित दरो के आधार पर मासिक भुगतान के अतिरिक्त फर्म को किसी भी प्रकार की कोई धनराशि देय नहीं होगी।

मैनें/हमने उपरोक्त लिखित समस्त शर्तो को भली भॉति पढ़ लिया है तथा मुझे/हमें उक्त सभी शर्ते पूर्णतः मान्य है।

निविदादाता का नाम व हस्ताक्षर तिथि सहित

प्रपत्र क

प्रपत्र मूल्य ₹500 + वैट@18% ₹90 = ₹590

उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण

मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी), रायपुर रोड़, देहरादून

——मासिक आधार पर किराये पर इनोवा वाहन हेतु आंमत्रित निविदा——

उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अध्यक्ष/मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), मत्स्य विकास, उत्तराखण्ड सरकार के प्रयोगार्थ इनोवा वाहन को मासिक आधार पर किराये पर दिये जाने हेतु आंमत्रित निविदा की समस्त शर्तो का मैने/हमनें भलीभॉति अध्ययन कर लिया गया है।

मेरे/हमारे द्वारा तकनीकी निविदा अन्तर्गत निविदा प्रपत्र की धनराशि, धरोहर धनराशि, व अन्य वांछित अभिलेख तकनीकी निविदा के अन्तर्गत प्रस्तुत कर दिया गया है।

मद	निविदा धनराशि
इनोवा वाहन की मासिक आधार पर किराये पर आपूर्ति	

(क) निविदादाता का नाम –

(ख) निविदादाता का पता –

(ग) दूरभाष/मोबाईल संख्या –

निविदादाता के हस्ताक्षर व तिथि